

संपत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या: 2003 दि. 19 अक्टूबर 2003 को जारी किया गया है।
 आवेदन संख्या: 2006
 आवेदक का नाम: Ashad Ahmad पता: राजिवा 5086
 मालिकता का प्रकार: मेमोरिअल एडुकेशनाल & वेल्फेयर ट्रस्ट

ने जो प्राप्त आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संव्यवहारों और अवधारों का सचित्र प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्यों के अनुसार विवरण दे।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति जो प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में नहीं है और जहाँ सम्बन्ध अनुक्रमणियों के तहत 2003 से 2009 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों को पता चला

चला है अतः

अवधार प्रमाण

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्र. क्र. दिनांक		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्ला	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	maurza		khali pur					
	P.S		Janapur					
	khats		822					
	plot		963					
	ward		3					
	Area		25.25 decimal					

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. वॉचक-पत्र की दिशा व्यंजन की भर और पुनर्दान की अवधि दर्ज करें। यशों की उनके मां में बल्ले हो।
3. भट्टे की दशा में भट्टे की अवधि और चार्जिक लागत दर्ज करें।
 में यह प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संबंधियों और अवधारों में जेड उक्त संबंधों को गणना करने वाले किसी अन्य संबंधियों और अवधारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

[Handwritten Signature]

(पदनाम):

तलाशी का संचालन करने वाले जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

[Handwritten Signature]

(पदनाम):

L.D.C

कार्यालय:

patna

तारीख:

18/6/15

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संबंधियों और अवधारों का विवरण दिया गया है, उसे आवेदन द्वारा प्रस्तुति-संपत्ति विवरण के अनुसार पाया गया है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देगा किन्हीं संबंधियों को निर्दिष्ट दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वे दस्तावेजों से प्रमाणित संबंधियों (मान्यकरणात्मक) इस प्रमाण-पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-13 के अधीन जो व्यक्ति (बिहारी) और अनुसूचित जातियों (रून्डेस) को प्रमाणित देखना चाहते हैं अथवा उनको प्रतिनिधि लेना चाहते हैं-किन्हीं निर्दिष्ट-संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत है उन्हें तलाशी स्वयं करने होंगी। विहित फॉर्म को पुनर्दान करने पर उन्हें और अनुसूचित जातियों उनको पास-सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए न्यायालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भी तह किये नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद दूरे गये संबंधियों और अवधारों को तत्पश्चात् के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूरे गये ऐसे संबंधियों और अवधारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक

ताप संख्या

आवेदक श्री

का जन्मदिनांक प्रमाण-पत्र द्वारा

का उनके पत्र संख्या

5176

दिनांक

18/6/15

Arshad Ahmad Secretary - AL-Rabia Memorial Education Welfare Trust

Manager The Bihar Awami Co-OP Bank LTD Muzaffarpur

दिनांक

16/6/15

के प्रसार में आमराजि की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

18/6/15

patna